रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
No. 561] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 714(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2-टी तेल (प्रदाय और संवितरण विनियमन) आदेश, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम 2-टी तेल (प्रदाय और संवितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 2006 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 2007 से प्रवृत्त होगा ।

2. 2-टी तेल (प्रदाय और संवितरण विनियमन) आदेश, 1998 के पैरा 1 के उपपैरा (2) में "दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र" शब्दों के पश्चात् "और अहमदाबाद, कानपुर, शोलापुर, लखनऊ, बंगलौर, चैन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, आगरा, झरिया, वाराणसी, फरीदाबाद, पटना, जोधपुर और पुणे शहर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. क्यू-16014/18/98-सीपीए (पीटी)]

आर.के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i) में सा.का.नि. 778(अ) तारीख 31 दिसंबर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 714(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 2-T Oil (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1998, namely :—

1. (1) This Order may be called the 2-T Oil (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2006.

(2) It shall come into force from the 1st day of January, 2007.

2. In the 2-T Oil (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1998, in sub-paragraph (2), of paragraph 1, after the words "National Capital Territory of Delhi", the words "and to the cities of Ahmedabad, Kanpur, Sholapur, Lucknow, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai, Kolkata, Agra, Jharia, Varansi, Faridabad, Patna, Jodhpur and Pune" shall be inserted.

[F. No. Q-16014/18/98-CPA(Pt.)]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note :—The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) *vide* G.S.R. 778(E) dated 31st December, 1998.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.